# न्यायालय :: न्यायिक मजिस्ट्रेट आहोर–जालोर

पीठासीन अधिकारी : सुधीर चौहान (आर.जे.एस.)
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या : 522/2022 (**C.I.S No. 522/2022**)
एफआईआर नंबर : 47/2017 पी.एस. आहोर, जालोर

राजस्थान राज्य

..................अभियोगी

**विरूद्ध**

01. पेलाराम पुत्र होसाराम मेघवाल, उम्र 60 वर्ष,
02. गजाराम पुत्र पेलाराम मेघवाल, उम्र 34 वर्ष,
03. उत्तम कुमार पुत्र पेलाराम मेघवाल, उम्र 32 वर्ष,
04. श्रीमती लेरकी पत्नी पेलाराम मेघवाल, उम्र 55 वर्ष,
05. **खीमाराम पुत्र होसाराम मेघवाल(फौत हो जाने से कार्यवाही ड्रॉप)**

निवासीगण वेदाना खुर्द, पीएस आहोर जिला जालोर।

........... अभियुक्तगण

:: **अपराध अंतर्गत धारा 147, 341, 323/149 भारतीय दण्ड संहिता, 1860** ::

**उपस्थिति** :-

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री मंगलसिंह राजपुरोहित अभियुक्तगण की ओर से।

-: **निर्णय** :-

**(05 वर्ष से अधिक पुराना प्रकरण)**

दिनांक : 27-03-2026

हस्तगत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कमलेश कुमार पुत्र श्री खंगाराराम मेघवाल, निवासी वेदाना खुर्द ने पुलिस थाना आहोर में दिनांक 14.03.2017 को एक टाइपसुदा रिपोर्ट

प्रदर्श पी 02 इस आशय की प्रस्तुत की कि कल दिनांक 13.03.2017 को शाम 07.00 बजे की बात है वह गांव से अपने घर पैदल-पैदल जा रहा था, पेलाराम मेघवाल के घर के आगे पहुंचा ही था कि पेलाराम पुत्र होसाजी ने उसे देखते ही उसके साथ मां-बहिन की गाली देने लगा, तब उसने उनको गाली-गलौच करने का मना किया, तो वह नाराज हो गये और उल्टा उसे रास्ते जाते को आडा फिरकर उसका गिरेबान पकडकर उसके साथ थापो-मुक्कों से मारपीट करने लगे, इतने में खिमाराम पुत्र होसाजी, गजाराम पुत्र पेलाराम जो हाथों में लाठी लेकर आया और उतम पुत्र पेलाराम, लेरकी पत्नी पेलाराम सभी दौडकर आये आते ही सभी ने उसके साथ थापो मुक्कों व लातों से मारपीट कर उसे जमीन पर नीचे पटक दिया और गजाराम ने लाठी की चोट उसके सिर पर जोर से मारी, जिससे उसका सिर फट गया और सिर से खून बहने लगा, इतने में उसकी काकाई भतीजी ललिता उसके घर उसके साथ हो रही मारपीट का कहने गयी, तब उसकी मां भाटीया व उसकी बहन देवी दौडकर आयी, शेषाराम पुत्र तलसाजी दौडकर आये व बीच बचाव कर उसे छुडाया, वरना ये सभी उसे जान से मार देते। इन लोगों ने छह-सात महीने पहले भी उसके पिता के साथ लडाई झगडा व मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना आहोर में की थी इस कारण ये लोग उनके परिवार से रंजिश रखते है, आये दिन ये उनके साथ लडाई झगडा व गाली गलोच करते रहते है, उनके परिवार को इनसे जानमाल का पूरा-पूरा खतरा है, कल इन लोगों ने उसे अकेला देखकर रास्ते जाते को आडा

फिरकर उसे जान से मारने की नियत से उस पर हमला किया है। अत: समय रहते कार्यवाही करावे ............. इत्यादि।

उक्त रिपोर्ट पर हस्तगत दाण्डिक प्रकरण उद्भूत हुआ, जिसके आधार पर पी.एस. आहोर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 47/2017 चाकबद्ध की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण पैलाराम, गजाराम, उत्तम कुमार, खीमाराम एवं श्रीमती लेरकी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 341, 323/149 में दिनांक 07.07.2017 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर उसी दिन अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं में अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया। तदोपरांत बाद बहस चार्ज अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 341, 323/149 के तहत् दिनांक 07.11.2017 को पृथक से आरोप सारांश विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्तगण द्वारा सुन-समझकर आरोपों से इंकार कर अंवीक्षा चाही गयी।

साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 10 गवाहो को परीक्षित करवाया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी 01 से पी 04 तक विभिन्न दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

:: **मौखिक साक्षीगण** ::

| Prosecution witness No. | Name of Witness | Description |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| पी.डब्ल्यू. 01 | श्रीमती देवी | चश्मदीद गवाह |
| पी.डब्ल्यू. 02 | तलछाराम | मौतबीर घटनास्थल निरीक्षण |
| पी.डब्ल्यू. 03 | संग्रामाराम | मौतबीर घटनास्थल निरीक्षण |
| पी.डब्ल्यू. 04 | शेषाराम | चश्मदीद गवाह |
| पी.डब्ल्यू. 05 | सुश्री ललिता | चश्मदीद गवाह |
| पी.डब्ल्यू. 06 | कमलेश कुमार | एफआईआरकर्ता/मजरूब |
| पी.डब्ल्यू. 07 | श्रीमती भाटिया | चश्मदीद गवाह |
| पी.डब्ल्यू. 08 | डॉ पूरणमल मुनोत | चिकित्सीय साक्षी |
| पी.डब्ल्यू. 09 | सत्यकुमार | अनुसंधानकर्ता |
| पी.डब्ल्यू. 10 | किशनलाल | कायमी मुकदमा व अनुसंधानकर्ता |

:: **दस्तावेजी साक्ष्य** ::

| Exhibit No. | Description of the Exhibit | Proved by/Attested by |
|---|---|---|
| पी 01 | मौका रिपोर्ट | पी.ड. 02, 03, 06, 09 |
| पी 02 | पर्चाचाक रिपोर्ट | पी.ड. 06, 10 |
| पी 03 | कमलेश कुमार का चोट प्रतिवेदन | पी.ड. 06 |
| पी 04 | पर्चाचाक एफआईआर | पी.ड. 10 |

साक्ष्य अभियोजन समाप्ति उपरान्त अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 351 बी.एन.एस.एस., 2023 के तहत् दिनांक 27.03.2026 को लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण ने बताया कि गवाहान गलत बयान करते हैं। वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना नहीं चाहा, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा का मौका बंद किया गया।

उभय पक्षीय बहस अंतिम सुनी गयी। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा न्यायालय से निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में सफल रहे हैं। अभियुक्तगण के द्वारा ही अपराध कारित किया गया है, अत: अभियुक्तगण को समुचित दंड से दंडित किया जाए।

वहीं दूसरी ओर दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय से निवेदन किया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं है। अभियुक्तगण के द्वारा कोई मारपीट कारित नहीं की गयी। अभियोजन के गवाहों की गवाही में घोर विरोधाभास हैं। अत: अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर बरी किया जावे।

**न्यायालय के समक्ष अवधारणीय बिन्दु यह है कि -**

**''क्या अभियुक्तगण ने अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में दिनांक 13.03.2017 को वक्त शाम 07.00 पी.एम. या उसके लगभग सरहद मौजा वेदाना खुर्द में, मेघवालों के वास में जाने वाली पक्की सीमेंट सडक पर परिवादी कमलेश कुमार के साथ कोई अपराध कारित के उद्देश्य से विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर बल एवं हिंसा का प्रयोग कर बल्वा कारित किया एवं इसी अनुक्रम में परिवादी कमलेश कुमार का रास्ता रोककर उसका सदोष अवरोध कारित कर परिवादी कमलेश कुमार के साथ स्वैच्छया थापो-मुक्कों/कूंदआला से मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की'' ?**

**यदि हाँ, तो अभियुक्तगण किस दण्ड के भागीदार है?**

**<u>पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री, दस्तावेजों व उभय पक्षीय बहस के परिपेक्ष्य में न्यायालय का विवेचन इस प्रकार है:-</u>**

न्यायालय के उक्त अवधारणीय बिन्दु को साबित करने के लिये अभियोजन ने कुल 10 गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया।

प्रकरण में एफआईआरकर्ता/मजरूब पी.ड. 06 कमलेश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 13.03.2017 को शाम 07.00 बजे की बात है। वह पैदल अपने घर जा रहा था, जब वह पेलाराम के घर के आगे पहुंचा, तो वह उसे मां बहन की गालियां देने लगा, जब उसने इसके लिए मना किया तो वह उसके आडे फिरा व गिरेबान से पकडा व थापो मुक्को से मारपीट करने लगा इतने में खीमाराम, गजाराम, उत्तम व लैरकी वहां पर आए तथा उसके साथ धक्का मुक्की करने लगे व मारपीट करते हुए जमीन पर गिरा दिया। उसकी भतीजी ललीता यह सब देख रही थी वह भागते हुए उसके घर गई व इस घटना के बारे मे बताया तो उसकी मां भाटिया, व उसकी बहन देवी दौडकर आए उनके देखते देखते गजाराम ने उसके सिर के पीछे लाठी भी मारी, इतने मे शेषाराम भी वहां आ गए थे उसकी मां व बहन जोर जोर से रोने लगी व उन्होने व शेषाराम ने हाथा जोडी कर उसे छुडाया। उन लोगो ने इस घटना के 06-07 महीने पहले उसके पिता के साथ मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने आहोर थाने मे दी थी। अभियुक्तगण बार-बार उन्हें डराते व धमकाते है। इस घटना की रिपोर्ट उसने पीएस आहोर में दी थी जो प्रदर्श पी 02 है, जिस पर ए से बी उसके साईन है। रिपोर्ट देने गया, तब उसका पिता खंगाराराम भी उसके

साथ थे। उनके भी रिपोर्ट पर सी से डी साईन है। घटना के ठीक बाद आहोर थाने गया था व रिपोर्ट दी थी पुलिस वाले उसे आहोर सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां उसके शरीर पर आई चोटो का मेडिकल मुआयना किया था। आईआर प्रदर्श पी 03 पर ए से बी उसके साईन है। घटना के दुसरे दिन पुलिस वाले मौका देखने आए, तब उसने घटनास्थल का मौका मुआयना करवाया था। उसने मौका दिखाया तब संग्रामाराम व तलसाराम वही मौजूद थे। पुलिस ने मौके पर लिखापढी कर फर्द नक्शा व हालात मौका प्रदर्श पी 01 बनाया, जिस पर सी से डी उसके साईन है।

जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्तगण में गवाह ने कथन किया कि घटना 13 मार्च, 2017 होली वाले दिन शाम को 07.00 बजे की है एवं यह भी कथन किया कि मारपीट करीब 5-10 मिनट चली थी, सभी ने मिलकर मारपीट की थी एवं यह भी कथन किया कि गजाराम ने उसके सिर पर लाठी से एक ही चोट मारी थी एवं दौराने मारपीट उसकी बहन, उसकी माता व उसके चाचा ने आकर उसे छुडाया।

प्रकरण में चश्मदीद गवाह पी.ड. 01 श्रीमती देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि प्रार्थी कमलेश कुमार उसका भाई लगता है। बयान दिनांक से लगभग 02 साल पहले की बात है। शाम को 07.00 बजे की बात है। कमलेश गांव से घर की ओर आ रहा था, तभी रास्ते में पेलाराम, खीमाराम, उत्तम कुमार, गजाराम, लहरकीदेवी ने कमलेश का रास्ता रोका, फिर पेलाराम ने मारपीट की और कमलेश के साथ खीमाराम, उत्तम, गजाराम ने मारपीट की थी। गजाराम लकडी लेकर आया व कमलेश के सिर पर मारी। कमलेश को गिराकर इन सभी ने मारपीट की। कमलेश के मारपीट से सिर पर चोट आई थी। उसकी

भतीजी ललिता उनके घर पर आई, जिसने बताया कि कमलेश के साथ मारपीट हो रही है फिर वह, उसकी माता भाटीयादेवी व शेषाराम तीनों जने मौके पर गए, तो उन्होंने देखा कि कमलेश जमीन पर नीचे गिरा हुआ था तथा सभी मुलजिमान उसके साथ मारपीट कर रहे थे। घटना की रिपोर्ट उसके भाई कमलेश ने की थी। पुलिस ने उसके साथ पूछताछ की थी।

जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्तगण में गवाह ने कथन किया कि कमलेश को रोड पर मुलजिमान मारपीट कर रहे थे, तब वे कमलेश को लेकर घर आये एवं कथन किया कि वह मौके पर गये, उससे पहले कितनी मारपीट की, उसे ध्यान नहीं वे गये तब मुलजिमान मारपीट कर रहे थे। गवाह ने अपनी जिरह में यह भी कथन किया कि उसका विवाह नवाखेडा पाली में किया हुआ है। इस बात को लेकर उसके समाज का टंटा पडा था एवं स्वीकार किया कि इससे उनके समाज वाले नाराज थे एवं उस समय के बाद उसके काका पैलाराम का उनके घर आना जाना नहीं है एवं खीमाराम का भी आना जाना नहीं है।

प्रकरण में चश्मदीद गवाह पी.ड. 04 शेषाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि बयान दिनांक से लगभग ढाई साल पहले की बात है। वह कमलेश को जानता है। कमलेश के साथ शाम को 07.00 बजे पेलाराम के घर के सामने लडाई झगडा हुआ था। वह घटनास्थल के पास गली में ही बैठा था। उसके भाई की लडकी उसे बुलाने आई, तब वह मौके पर गया था। कमलेश के साथ गजाराम, पेलाराम, खीमाराम, उत्तम कुमार तथा पेलाराम की पत्नी लकडियों व हाथों से मारपीट कर रहे थे। गजाराम ने कमलेश के सिर पर लाठी से मारी थी, बाकी लोगों ने लातों व थापो-मुक्कों से मारपीट की थी। उसके

अलावा देवी, भाटिया बीच बचाव करने आए थे। कमलेश के सिर पर चोट लगी थी। पुलिस वालों ने उससे पूछताछ की थी।

जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्तगण में गवाह ने इस तथ्य को अस्वीकार किया कि वह मौके पर झगडा होने के बाद ललिता के द्वारा उसे घर से बुलाने के बाद घटनास्थल पर आया हो, अजखुद कहा कि वह कुटाला हो रहा था, तब मौके पर आ गया था एवं कथन किया कि झगडा करीब 15-20 मिनट चला था एवं कमलेश के सिर पर चोट लगने के बाद वे उसे अस्पताल लेकर गये। गवाह ने जिरह में यह भी कथन किया कि उसके मौके पर आने के बाद 5 से 10 मिनट झगडा चला होगा, उस समय भी सभी मुलजिमान कमलेश के साथ मारपीट कर रहे थे एवं उसके आने के बाद मुलजिमान कमलेश के साथ थापो-मुक्कों एवं लाठी से मारपीट कर रहे थे एवं उसके आने से पहले कमलेश को रोड पर पटककर घसीटा, जिससे कमलेश का कमीज फटा था।

प्रकरण में चश्मदीद गवाह पी.ड. 07 श्रीमती भाटिया ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि तारीख उसे याद नहीं है। करीब 07-08 साल पहले शाम करीब 07.00 बजे की बात है। वह व उसकी बेटी देवी घर पर थे, तब ललीता दौडते हुए उनके घर आई व बताया की पेलाराम के घर के आगे कमलेश के साथ मारपीट हो रही है, तब वह व उसकी बेटी देवी दौडकर गए। पेलाराम का घर उनकी गली में ही है। उसने व उसकी बेटी देवी ने देखा कि उसका बेटा कमलेश नीचे गिरा हुआ था व पेलाराम, खीमाराम, गजाराम, उत्तम तथा लैरकी उसके साथ मारपीट कर रहे थे। खीमाराम व गजाराम के हाथ मे लाठी थी। उसके देखते-देखते गजाराम ने उसके बेटे कमलेश के सिर के पीछे की तरफ लाठी से मारी व पेलाराम, खीमाराम, लैरकी व उत्तम थापो मुक्को

व लातों से मारपीट कर रहे थे। शेषाराम भी वहीं मौजूद थे। वह व उसकी बेटी जोर से रोने लगी व हाथा जोडी की। उनके साथ शेषाराम ने मिलकर बीच बचाव किया। इस घटना के 06-07 महीने पहले भी इन लोगो ने उसके पति के साथ भी मारपीट की थी। उसके पति खंगाराराम को उन्होंने सूचना दी थी व सीधे थाने ही आए थे। वहां पर उनको सारी बात उसके बेटे कमलेश ने बताई थी व थाने में रिपोर्ट दी थी।

जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्तगण में गवाह ने कथन किया कि घटना के समय होली थी एवं कथन किया कि उसके जाने से पहले कितने समय मारपीट की, उसे ध्यान नहीं एवं घटनास्थल से उसके घर पर उसे ललिता कहने आयी एवं जब वह घटनास्थल पर पहुंची, तो कमलेश रो रहा था। कमलेश के शरीर से खून गिर रहा था, उसके बाद वह स्वयं, उसकी पुत्री व शेषाराम ने जाकर छुडाया, उसके बाद भी गजाराम ने लाठी की और चौट मारी। उसके जाने के बाद केवल गजाराम ने ही चोट मारी थी, बाकी किसी अन्य ने कोई चोट नहीं मारी थी। गवाह ने जिरह में इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उसके परिवार के एवं पैलाराम व गजाराम के परिवार के साथ पहले से ही अदावदी चल रही है, उनके आपस में कोई बोलचाल नहीं है न ही एक-दूसरे के घर आना-जाना है।

प्रकरण में चश्मदीद गवाह पी.ड. 05 सुश्री ललिता की उम्र 12 वर्ष होने से गवाह से सामान्य प्रज्ञा के प्रश्न पूछे गये, जिस पर गवाह ने पूछे गये प्रश्नों के उत्तर के रूप में जवाब दिया कि उसका नाम ललिता है। वह गांव बेदाना के सरकारी स्कूल में सातवी कक्षा में पढती है। उसके जिले का नाम जालोर व तहसील आहोर है। गवाह ने यह भी जवाब दिया कि सच बोलना चाहिए, झूठ बोलने से पाप लगता है।

तत्पश्चात् गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि बयान दिनांक से लगभग ढाई साल पहले की बात है। शाम को सात बजे वह अपनी गली में खेल रही थी। उसके चाचु कमलेश को मार रहे थे। उसके चाचु के साथ उत्तम कुमार, गजाराम, पेलाराम, खीमोबा, लेहरकी मारपीट कर रहे थे। ये लोग उसके चाचु के साथ लकडी से मारपीट कर रहे थे, उसके चाचा के सिर पर चोट लगी थी। उसके चाचा के सिर पर गजाराम ने चोट मारी थी। बीच बचाव करने उसकी दादी भाटिया, देवी, शेषाराम आए थे।

जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्तगण में गवाह ने कथन किया कि झगडा हो रहा था, उस समय उसे मालूम पडा था, झगडा गली में हो रहा था एवं जब झगडा हुआ, उस समय पास में वे बच्चे खडे थे बडा कोई वहां पर नहीं था। झगडा हो रहा था, उस समय वह बुलाने गयी थी, झगडे के समय किस किस ने कितनी चोट मारी और किस किस से मारी, उसे ध्यान नहीं। वह तो उसकी दादी, भुआ और उसके चाचा को बुलाने गयी थी एवं यह भी कथन किया कि उसके चाचा के सिर पर चोट लगी थी, उसके खून आया था।

मौतबीर घटनास्थल निरीक्षण पी.ड. 02 तलछाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह प्रार्थी कमलेश कुमार को जानता है। बयान दिनांक से लगभग 02 साल पहले की बात है। पुलिस वाले पेलाराम के घर पास आए थे, जहां पर कमलेश कुमार ने लडाई झगडे का मौका प्रदर्श पी 01 दिखाया था, जिस पर एक्स स्थान पर उसका अंगुष्ठ निशान है।

जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्तगण में गवाह ने कथन

किया कि पुलिस ने मौके पर लिखा-पढी कर उसे सुनायी थी, लिखापढी कमलेश के घर पर की थी वह घर पर सोया हुआ था। प्रदर्श पी 01 में क्या लिखापढी की, उसे पता नहीं। अजखुद कहा कि वह पढा लिखा नहीं है एवं पुलिस किसलिए आयी, उसे ध्यान नहीं।

मौतबीर घटनास्थल निरीक्षण पी.ड. 03 संग्रामाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह प्रार्थी कमलेश कुमार को जानता है। बयान दिनांक से लगभग ढाई साल पहले की बात है। होली का दिन था, तब झगडा हुआ था, पेलाराम के दरवाजे पर झगडा हुआ था। कमलेश कुमार के साथ गजाराम द्वारा लडाई झगडा किया गया था। कमलेश ने पुलिस को मौका बताया था, शाम को चार बजे पुलिस वाले मौका देखने आए थे, मौका देखते समय उसके अलावा खेताराम भी पास में था, उनके सामने पुलिस ने मौका देखा था। मौका रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 पुलिस वालों ने घटनास्थल पर ही तैयार की थी, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्तगण में गवाह ने कथन किया कि मौका रिपोर्ट पुलिस ने बनायी थी, जो पुलिस ने उसे पढकर सुनायी थी एवं कथन किया कि मौका रिपोर्ट पर उसके अलावा कमलेश के भी हस्ताक्षर किये गये हैं।

चिकित्सीय साक्षी पी.ड. 08 डॉ पूरणमल मुनोत ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 13.03.2017 को वह सीएचसी आहोर में कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत था। उस रोज

पीएस आहोर की तहरीर पर मजरूब कमलेश कुमार पुत्र खंगारारम, उम्र 17 वर्ष, जाति मेघवाल निवासी नया बेदाना के शरीर पर आई चोटो का मेडिकल कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 01 तैयार किया, जिस पर ए से बी मजरूब के हस्ताक्षर है, सी से डी उसके हस्ताक्षर व इ से एफ मजरूब का पहचान चिन्ह् है जिसके शरीर पर निम्न चोटे पाई गई है-

01. कुचला हुआ घाव 04 गुणा 01 सेमी सिर की चमडी की गहराई तक सिर के दाहिने भाग पर

उक्त चोट साधारण प्रकृति की एवं भोटे हथियार से कारित थी। चोट की अवधि लगभग 01 घंटे के भीतर की थी।

जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्तगण में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि मजरूब की चोट प्रतिवेदन थाना आहोर की तहरीर पर बनायी गयी थी। तहरीर पर एफआईआर नंबर या सी.आर. नंबर लिखा हुआ नहीं था केवल दस्ती पेपर दिया गया था एवं इस तथ्य को स्वीकार किया कि व्यक्ति सीढियों से गिर जाए, तो सिर पर सीढिया की धार से लगने से यह चोट आना संभव है।

कायमी मुकदमा व अनुसंधानकर्ता पी.ड. 10 किशनलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 14.03.2017 को वह पी.एस. आहोर में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस रोज कमलेश कुमार ने हाजिर थाना आकर एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 उसके सामने पेश की, जिसके आधार पर उसने प्रकरण संख्या 47/2017 दर्ज

कर अनुसंधान सत्यकुमार एएसआई को सुपुर्द किया था। रिपोर्ट पर ए से बी कमलेश, सी से डी खंगाराम व इ से एफ उसके साईन है, जी से एच पुलिस पृष्ठांकन व आई से जे पुलिस कार्यवाही है। पर्चाचाक एफआईआर प्रदर्श पी 04 पर ए से बी उसके साईन है।

जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्तगण में गवाह ने कथन किया कि एफआईआर पेश करने के लिए प्रार्थी कमलेश कुमार दिनांक 14.03.2017 को आया था एवं एफआईआर दर्ज करवाने से एक रोज पहले उसका मेडिकल करवाया था एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर थाने में करवाये थे।

अनुसंधानकर्ता पी.ड. 09 सत्यकुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 14.03.2017 को वह पीएस आहोर मे एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस रोज थाना प्रभारी किशनलाल ने कमलेश कुमार द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण संख्या 47/2017 दर्ज कर अनुसंधान उसे सुपुर्द किया था। रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 पर ए से बी कमलेश, सी से डी खंगाराम, इ से एफ किशनलाल के साईन है, जी से एच पुलिस पृष्ठांकन व आई से जे पुलिस कार्यवाही है। पर्चाचाक एफआईआर प्रदर्श पी 04 पर ए से बी किशनलाल के साईन है। दौराने अनुसंधान दिनांक 14.03.2017 को कमलेश द्वारा बताये घटनास्थल का मुआयना संग्रामाराम व तलसाराम के रूबरू कर फर्द नक्शा व हालात मौका प्रदर्श पी 01 बनाया, जिस पर ए से बी संग्रामाराम, सी से डी कमलेश व इ से एफ उसके साईन है, एक्स स्थान

पर तलसाराम का अंगुठा निशान है। मजरूब कमलेश के शरीर पर आई चोटो का मुआयना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आहोर मे करवाया, जिसकी आईआर प्रदर्श पी 03 शामिल पत्रावली की थी। गवाह कमलेश, शेषाराम, देवी, भाटिया, खंगाराराम, ललिता के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध किये। पत्रावली पर आये मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त पेलाराम, गजाराम, उत्तम कुमार, खीमाराम, श्रीमती लेरकी के खिलाफ जुर्म धारा 147, 341, 323/149 आईपीसी में अपराध प्रमाणित मानते हुये पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की, जिन्होने इन्ही धाराओ में आरोप पत्र न्यायालय मे पेश किया।

जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्तगण में गवाह ने कथन किया कि पत्रावली उसे जांच हेतु मुकदमा दर्ज हुआ, उसी रोज मिली थी एवं कथन किया कि अभियुक्त व परिवादी रिश्तेदार हो, तो वह नहीं बता सकता एवं इस तथ्य से इंकार किया कि प्रदर्श पी 01 पर मौतबीर गवाहों के हस्ताक्षर उसने थाने में करवाये हो एवं इस तथ्य से भी इंकार किया कि प्रकरण में गवाहों के बयान परिवादी से मिलकर अपने मन से लिखे हो।

इस प्रकार अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के संदर्भ में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों एवं संबंधित दस्तावेजों के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण के एफआईआरकर्ता/मजरूब पी.ड. 06 कमलेश कुमार ने अपने द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श 02 में यह कथन किया है कि दिनांक 13.03.2017 को शाम 07.00 बजे जब वह अपने गांव से उसके घर पैदल-पैदल जा रहा था और जब वो पैलाराम मेघवाल के घर के आगे पहुंचा, तो पैलाराम पुत्र होशाजी उसे देखते ही मां-बहन की

गाली देने लगा एवं जब उसने पैलाराम को गाली-गलौच करने से मना किया, तो पैलाराम नाराज हो गया एवं उसे रास्ते जाते हुए को रोककर उसका गिरेबान पकडकर थापो-मुक्कों से मारपीट करने लगा, इतने में ही खीमाराम, गजाराम हाथों में लाठी लेकर आये और उत्तम कुमार एवं लेरकी पत्नी पैलाराम भी दौडकर आये और सभी ने उसके साथ थापो-मुक्कों व लाठी से मारपीट कर उसे जमीन पर पटक दिया और गजाराम ने लाठी की चोट उसके सिर में मारी, प्रकरण के उक्त एफआईआरकर्ता/मजरूब पी.ड. 06 कमलेश कुमार ने अपने द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 के समान ही कथन अपने न्यायालय में हुए मुख्य परीक्षण में करते हुए अपनी जिरह में भी इस तथ्य को स्पष्ट स्वीकार किया कि घटना के समय सभी अभियुक्तगणों ने उसके साथ मारपीट की थी एवं गजाराम द्वारा लाठी से उसके सिर पर चोट मारने के तथ्य को भी स्वीकार किया है, प्रकरण के उक्त एफआईआरकर्ता/मजरूब पी.ड. 06 कमलेश कुमार ने अपने द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 एवं अपने न्यायालय में हुए मुख्य परीक्षण में उसके साथ हुई मारपीट के दौरान गवाहान् पी.ड. 07 श्रीमती भाटिया, पी.ड. 01 श्रीमती देवी एवं पी.ड. 04 शेषाराम द्वारा उसे छुडाने का कथन एवं साथ ही यह भी कथन किया कि मारपीट की घटना उसकी भतीजी पी.ड. 05 सुश्री ललिता ने देखी, तो वह भागते हुए अपने घर गयी थी, तो इस संबंध में प्रकरण की अन्य चश्मदीद गवाह पी.ड. 01 श्रीमती देवी ने भी अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी की पूर्णतया ताईद करते हुए अपनी जिरह में भी इस तथ्य को स्पष्ट स्वीकार किया कि मुलजिमान द्वारा कमलेश के साथ रोड पर मारपीट की गयी थी एवं जब वे घटनास्थल पर पहुंचे, तब अभियुक्तगण कमलेश कुमार के साथ मारपीट कर रहे थे, साथ ही प्रकरण के अन्य चश्मदीद गवाह पी.ड. 04 शेषाराम ने भी अपने मुख्य

परीक्षण में अभियोजन कहानी की ताईद करते हुए अपनी जिरह में इस तथ्य को स्पष्ट स्वीकार किया कि वक्त घटना पी.ड. 05 ललिता के द्वारा उसे बुलाये जाने पर जब वह घटनास्थल पर पहुंचा, तो सभी अभियुक्तगण कमलेश कुमार के साथ मारपीट कर रहे थे। इसी प्रकार प्रकरण की अन्य चश्मदीद गवाह पी.ड. 07 श्रीमती भाटिया ने भी अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी की ताईद की है, यद्यपि उक्त गवाह ने अभियोजन कहानी की आशिक रूप से ताईद करते हुए अपनी जिरह में उसके घटनास्थल पर पहुंचने के बाद अभियुक्त गजाराम द्वारा कमलेश कुमार के लाठी से चोट मारने के तथ्य की तो ताईद की है। इसी प्रकार प्रकरण की अन्य चश्मदीद गवाह पी.ड. 05 सुश्री ललिता ने भी अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा कमलेश कुमार के साथ मारपीट करने के तथ्यों की ताईद करते हुए अपनी जिरह में अभियुक्तगण द्वारा कमलेश कुमार के साथ झगडे के संबंध में उसके घर जाकर उक्त झगडे के बारे में सूचना देने एवं घटनास्थल पर पहुंचने पर उसके चाचा के सिर पर चोट लगी होने के तथ्यों की भी ताईद की है, उक्त चश्मदीद गवाह पी.ड. 05 सुश्री ललिता ने अपनी साक्ष्य में वक्त घटना प्रकरण के एफआईआरकर्ता/मजरूब पी.ड. 06 कमलेश कुमार के साथ अभियुक्तगण द्वारा झगडा किये जाने के दौरान उक्त घटना के संबंध में उसके घर जाकर घटना की जानकारी देने का कथन किया है एवं चश्मदीद गवाह पी.ड. 05 सुश्री ललिता द्वारा उक्त सूचना देने की ताईद प्रकरण के एफआईआरकर्ता/मजरूब पी.ड. 06 कमलेश कुमार एवं अन्य चश्मदीद गवाहान् पी.ड. 01 श्रीमती देवी, पी.ड. 04 शेषाराम एवं पी.ड. 07 श्रीमती भाटिया ने भी अपनी साक्ष्य में स्पष्ट की है। इस प्रकार प्रकरण के उक्त महत्वपूर्ण सभी गवाहान् ने अपने मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों की ताईद उनके द्वारा उनकी जिरह में भी पूर्णतया

की है, जिससे उक्त गवाहों द्वारा उनकी जिरह में किये गये कथन भी उनके मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों से किसी भी प्रकार से खंडित नहीं होते है, जिससे उक्त सभी महत्वपूर्ण गवाहों की साक्ष्य अखण्डनीय रही है। प्रकरण के एफआईआरकर्ता/मजरूब पी.ड. 06 कमलेश कुमार के उक्त झगडे में आयी चोटों की ताईद चिकित्सीय गवाह पी.ड 08 डॉक्टर पूरणमल मुणौत एवं दस्तावेजी साक्ष्य चोट प्रतिवेदन पत्र प्रदर्श पी 03 से भी स्पष्ट होती है। ऐसे में उपरोक्त किये गये विवेचनानुसार अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि अभियुक्तगण ने अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में दिनांक 13.03.2017 को वक्त शाम 07.00 पी.एम. या उसके लगभग सरहद मौजा वेदाना खुर्द में, मेघवालों के वास में जाने वाली पक्की सीमेंट सडक पर परिवादी कमलेश कुमार के साथ कोई अपराध कारित के उद्देश्य से विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर बल एवं हिंसा का प्रयोग कर बल्वा कारित किया एवं इसी अनुक्रम में परिवादी कमलेश कुमार का रास्ता रोककर उसका सदोष अवरोध कारित कर परिवादी कमलेश कुमार के साथ स्वैच्छया थापो-मुक्कों/कूंदआला से मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की।

अतः अभियुक्तगण पेलाराम, गजाराम, उत्तम कुमार एवं श्रीमती लेरकी को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 147, 341, 323/149 भारतीय दण्ड़ संहिता, 1860 के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## <u>आदेश</u>

अतः **अभियुक्तगण पेलाराम, गजाराम, उत्तम कुमार एवं**

**श्रीमती लेरकी को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा** 147, 341, 323/149 **भा.दं.सं.** के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके तुरन्त प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं।

(सुधीर चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, आहोर
जिला जालोर

**सजा के बिन्दु पर :–**

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध जमानतीय प्रकृति के है। अभियुक्तगण वर्ष 2017 से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। हस्तगत प्रकरण के अलावा अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण पूर्व में दर्ज नहीं है इसलिए अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाये। जबकि विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्तगण को सख्त सजा दिये जाने का निवेदन किया। सजा के प्रश्न पर उभय पक्षकारान को सुनकर पत्रावली का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में अभियुक्तगण वर्ष 2017 से अन्वीक्षा भुगत रहे है। अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, अन्वीक्षा अवधि, अभियुक्तगण की आयु को देखते हुए अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान करना उचित प्रकट होता है।

**–: दंडादेश :–**

अतः **अभियुक्तगण 01. पेलाराम पुत्र होसाराम मेघवाल, उम्र**

**60 वर्ष, 02. गजाराम पुत्र पेलाराम मेघवाल, उम्र 34 वर्ष, 03. उत्तम कुमार पुत्र पेलाराम मेघवाल, उम्र 32 वर्ष, 04. श्रीमती लेरकी पत्नी पेलाराम मेघवाल, उम्र 55 वर्ष, निवासीगण वेदाना खुर्द, पीएस आहोर जिला जालोर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 147, 341, 323/149 भारतीय दण्ड संहिता** में दोषसिद्धि के फलस्वरूप तत्काल कारावास के दंड से दंडित करने के बजाय अपराधी परिवीक्षा अधिनियम–1958 की धारा–4 (1) के प्रावधानों का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्तगण राशि रूपये 10,000/– के बंधपत्र व इसी राशि की जमानत इस आशय की प्रस्तुत कर न्यायालय के संतोषप्रद तस्दीक करा दे किः–

1. वे एक वर्ष की अवधि के दौरान परिशांति बनाये रखेंगे।
2. अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।
3. सदाचारी बने रहेंगे एवं न्यायालय द्वारा आहूत करने पर दंडादेश भुगतने के लिए तत्पर रहेंगे।

तो अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर रिहा किया जावे। साथ ही परिवीक्षा अधिनियम–1958 की धारा–5 के तहत प्रत्येक अभियुक्त पर रुपये 500/– अक्षरे पांच सौ रूपये मात्र **(कुल 2,000/– अक्षरे दो हजार रुपये)** अभियोजन व्यय अधिरोपित किया जाता है, जो जमा राजकोष हो। अभियुक्तगण के धारा 481 बीएनएसएस, 2023 के जमानत मुचलके अपील अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

(सुधीर चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, आहोर
जिला जालोर

निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 27.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर टंकित, हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुधीर चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, आहोर
जिला जालोर

**:: प्रमाण–पत्र ::**

आदेश/ निर्णय में किए गए सभी संशोधन को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

**(सतीश बिश्नोई)**
स्टेनो/पी.ए.

**नोट** :– यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।